

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :149/9030 भवन/जेन-1/2013-14 दिनांक 24/01/2014

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उत्तरांचल नगर नियोजन तथा विचार अधिनियम 1973 की धारा 14 ए 15 के अंतर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जितना पर्याप्त व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय विभाग या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति कथना करने के गलतफहमी अधिकारों पर किसी का कोई दावा नहीं पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निलम्बित या स्वतंत्र के अधिकारों को विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं रखेगी।

श्री मोहम्मद अहमद पुर, स्व. जलील अहमद एवं श्रीमती शाफीका बानो पत्नी श्री मोहम्मद अहमद द्वारा शाईद नं०-31/1 सिविल स्टेशन, एमएजी० मार्ग, इलाहाबाद जेन संख्या (1) के अतिरिक्त व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति हेतु अधिकृत भवन मानचित्र के प्रस्तुत भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अर्थात् प्रदान की जाती है :-

1. उत्तरांचल नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को धारा 15 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः उपाय पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उन्मोह/अधिभाग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तर्गत (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की पूर्ति करके के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णतः प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फीट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 01 अर्द्ध टन लगाने वाले एक टैंक को 25-मरा रखने का वापिस आवेदक गारंटी होगा।
5. स्थल का अधिभाग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
6. नानवीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा समाप्त होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति नानवीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, अर्थात् सम्बन्धी किसी भी विवाद पर नानवीय स्थल निरस्त समझा जायेगा।
7. यदि आवेदक द्वारा कोई गड़बड़पूर्ण सूचना दिखायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उत्तरांचल नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अंतर्गत नकारात्मक निरस्त करने योग्य होगा।
8. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
9. भवन निर्माण से यदि नाली के सड़क की गटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो भवन के आरंभ भाग, पृथक् भाग अथवा उल्टे आकार के कारण बका रह गई हो) को उड़ाने पट्टे तो गड़बड़ होने कारण हो जाने पर 15 दिनों के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च में नरमता करवाकर पूर्णतः ठीक करवा कर उसे दिखाना प्राधिकरण को सत्यापन हो जाए, में कर देगा।
10. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल 1965) नियम 32 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे गलत नये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदक को नियमावली के अनुसार विकास प्राधिकरण को नकल की तीन तक तथा एक प्रत्येक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने को सूचना भवन आवेदन होने से पूर्व देना होगा तथा उस अवधि का नाम भी देना होगा जिसके निर्माण में मजदारी निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में बाधक प्लान का उल्लंघन होत पाया गया तो निर्माणकर्ता को दो गड़ स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत अधिकृत अथवा अधिनियम की धारा 27 (1) के अंतर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

निर्माण संख्या  
24/114

(मोहम्मद सिंह)  
जनरी अधिकारी (रजिस्ट्रार)  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद

